B.p

Q.4 Expalin the policy of Population in India and discuss important factors of population policy?

only factors पढ़े

जनसंख्या नीति का अभिप्राय सरकार की उन समस्त सरकारी प्रयत्नों से है, जो जनसंख्या के तेजी से बढ़ते हुए आकार को नियंत्रित करने तथा वर्तमान जनसंख्या का गुणात्मक स्तर सुधारने के उद्देश्य से की जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जनसंख्या नीति से तात्पर्य उस शासकीय नीति से है जिसके अनुसार वह अपने देश के साधनों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या के आकार को प्रभावित करती है। सामान्यतः जनसंख्या नीति शब्दावली का प्रयोग संकुचित अर्थों में किया जाता है। ऐसी नीति जिसके द्वारा जनसंख्या का नियंत्रण सम्भव हो तथा ऐसी नीति जिससे जनसंख्या वृद्धि सम्भव हो। परंतु अधिकांश देशों की जनसंख्या नीतियाँ जनसंख्या नियंत्रण से सम्बन्धित है।

भारत की जनसंख्या नीति का अध्ययन हम निम्नलिखित दो शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं:-

(i) स्वतंत्रता से पूर्व जनसंख्या नीति।
(ii) स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या नीति।

(i) स्वतंत्रता से पूर्व जनसंख्या नीति:-

ब्रिटिश प्रशासन जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के विरुद्ध थे, किन्तु अनेक बुद्धिजीवी एवं समाज सुधारक इसकी माँग कर रहे थे। सन 1916 में श्री प्यारे किशन वातल ने जनसंख्या वृद्धि एवं उसके परिणामों का विवरण देते हुए अपनी पुस्तक "द पपुलेशन प्रोबलेम आफ इंडिया" को प्रकाशित की। इस पुस्तक ने परिवार कल्याण के महत्व पर प्रकाश डाला। सन् 1925 में रघुनाथ धोंडो कार्वे ने महाराष्ट्र में संतति निरोध चिकित्सालय की स्थापना की। सन 1935 में

Scanned with CamScanner

में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने जिसके अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू थे ने एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। अतः स्पष्ट है कि अनेकों संगठन एवं समिति बना कर जनसंख्या पर असफल नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया था।

(ii) स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या नीति :-

स्वतंत्रता के बाद भारत वर्ष में पंचवर्षीय योजनाएँ चलाए गए और योजना के साथ-साथ जनसंख्या नीति का भी मूल्यांकन ~~किया जा सकता~~ होता रहा। अतः यहाँ सम्पूर्ण पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जनसंख्या नीति का अध्ययन करना सम्भव नहीं है।

16 अप्रैल 1976 को सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की। इस नीति का आधार यह था कि जनसंख्या विस्फोट एक गंभीर संकट का रूप धारण कर लिया है। अतः जनसंख्या को सीमित करना हमारी सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या है इस समस्या के समाधान के लिए सीधा प्रहार करना होगा। इस जनसंख्या नीति के निम्नलिखित मुख्य विशेषताएँ थी :-

(i) जन्म-दर 25/1000 तक लाने का लक्ष्य रखा गया।

(ii) विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष करने का विधान बनाया गया।

(iii) लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष उपाय अपनाये गए।

(iv) नसबंदी पर पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया।

15 फरवरी 2000 को केन्द्र सरकार के नयी जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा "स्वामीनाथन समिति" गठित की गई जिसने मसविदा जनसंख्या नीति तैयार करके मई 1994 में सरकार को सौंप दी। इसे सन् 1997 में जाकर मंजूरी दि गई।

2K के जनसंख्या नीति की प्रमुख विशेषताएँ :-

(i) नयी जनसंख्या नीति में सन् 2045 तक देश की जनसंख्या स्थिर कर देने का लक्ष्य रखा गया है

(ii) सरकार का लक्ष्य सन् 2010 तक जनसंख्या वृद्धि की दर को 2.1% तक लाना है

(iii) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग गठित करने का निर्णय किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे।

(iv) छोटे परिवार के सिद्धांत का पालन करने वाले परिवारों के लिए 16 प्रोत्साहक एवं प्रेरक उपायों की घोषणा की गयी है

(v) 19 वर्ष की स्त्री पहली बार जो गरीबी रेखा निचे जीवन यापन करती है यदि माँ बनती है तो उसे पुरुस्कृत किया जाएगा।

उपर्युक्त समस्त चर्चाओं के आधार पर हम निष्कर्षस्वरूप कह सकते है भारत की जनसंख्या नीति के द्वारा भारत की जनसंख्या को नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता रहा है

Important factors of Population policy:-

जनसंख्या नीति का वास्तविक अर्थ है देश की जनसंख्या को संतुलित करना। भारत जैसे देशों में जनसंख्या नीति का तात्पर्य जनसंख्या को नियंत्रण करना है जनसंख्या नीति के प्रमुख कारक निम्नलिखित है-

परिवार-कल्याण कार्यक्रम को आशय जनसंख्या नीति के एक कारक के रूप मे देखा जा सकता है इस कार्यक्रम का आशय सोच-समझकर स्वेच्छा से संतानोत्पति करना एवं एकाएक होने वाले जन्म को प्रतिबंधित करना है परिवार-कल्याण कार्यक्रम को अपनाकर प्रत्येक परिवार अपने को सीमित रख सकता है, अविवेकपूर्ण मातृत्व पर रोक लगा सकता है व संतानों का समुचित पालन-पोषण कर सकता है परिवार कल्याण का उद्देश्य, यथासंभव परिवार का विकास समाज की एक इकाई के रूप मे इस भाँति निर्मित करने से होना चाहिए, जिससे उन दशाओं को पूरा करने मे सुविधा हो जो उस

Scanned with CamScanner

इकाई के कल्याण के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से आवश्यक है।

परिवार कल्याण के कार्य में केवल परिवार को सचेत रूप से सीमित रखना अथवा बच्चों की उत्पत्ति में पर्याप्त फासला रखना ही नहीं है, बल्कि और भी ऐसे कार्य है जो परिवार कल्याण के लिए आवश्यक है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि परिवार जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार कल्याण एक प्रमुख कारक माना जाता है

जनसंख्या शिक्षा को दूसरे प्रमुख जनसंख्या नियंत्रण का कारक माना जाता है जनसंख्या शिक्षा द्वारा लोगो मे परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी दी जाती है ऐसा एक अध्ययन मे पाया गया है कि जो लोग अशिक्षित होते है उनके पास औसतन 5.9 बच्चें होते है इसके ठिक विपरीत जो लोग शिक्षित होते है उनके पास औसतन 2.6 बच्चे होते है जनसंख्या शिक्षा के द्वारा गर्भ निरोधक गोलीयो के विषय मे उत्पन्न भ्रांति को दूर किया जाता है अतः भारत सरकार जनसंख्या नीति द्वारा जनसंख्या शिक्षा पर ध्यान देकर जनसंख्या को नियंत्रण करने की व्यवस्था कर रही है

(iii) Aborson
(iv) Marrige age
(v) Health
(vi) Mortality Rate
(vii) गर्भनिरोधक उपकरण
→ निष्कर्ष :-

Q.[5] ⇒ भारत की जनसंख्या नीतियों कि विवेचना करें। 2K में घोषित जनसंख्या नीतियों का आँकलन करे तथा यह पूर्व की नीतियों से किस प्रकार भिन्न है?

Ans:- जनसंख्या नीति का अभिप्राय सरकार की उन समस्त सरकारी प्रयत्नों से है, जो जनसंख्या के तेजी से बढ़ते हुए आकार को नियंत्रित करने तथा वर्तमान जनसंख्या का गुणात्मक स्तर सुधारने के उद्देश्य से की जाती है। जनसंख्या नीति का अर्थ व्यापक है क्योंकि इसमें जनसंख्या के परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों पहलुओं पर विचार किया जाता है। विश्व में मात्रा कि समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि विश्व के विकासशील देशों की जनसंख्या नीति को यदि एक ही शब्द में "जन्म नियंत्रण नीति" कहे तो कोई अति-शयोक्ति नहीं होगी।

भारत, चीन के बाद विश्व मे जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पर है। परंतु क्षेत्रफल (2.42%) की दृष्टि से 7वाँ स्थान। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण विकास मार्ग लगभग बंद हो गया है। यह एक और गम्भीर बात है कि भारत ने 01 करोड़ की जनसंख्या के पार कर लिया है। भारत ने जनसंख्या के संतुलन को बनाए रखने हेतु विभिन्न समयों में

भिन्न-भिन्न नीतियों का प्रतिपादन किया।
(i) स्वतंत्रता से पूर्व जनसंख्या नीति
(ii) स्वतंत्रता के पश्चात " "
(i) स्वतंत्रता से पूर्व जनसंख्या नीति ; ब्रिटिश सरकार जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के विरुद्ध थे, मगर बुद्धिजीवी एवं समाजसुधारक इसकी बराबर मांग कर रहे थे। सन् 1916 में श्री प्यारे किशन वत्तल जनसंख्या वृद्धि एवं उसके परिणाम को ध्यान में रखकर " द पपुलेशन प्रोबलेम ऑफ इंडिया" पुस्तक लिखी तथा 1925 में रघुनाथ धोंडो कार्वे ने महाराष्ट्र में संतति निग्रह चिकित्सालय कि स्थापना की। जवाहरलाल नेहरु की अध्यक्षता में (1935) इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने " राष्ट्रीय योजना समिति " की स्थापना की। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी :-
(i) परिवार-कल्याण के लिए परिवार नियोजन राज्य की नीति का अभिन्न अंग होना चाहिए।
(ii) विवाह की आयु में वृद्धि होना चाहिए
(iii) जो लोग संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त है, उनकी नसबंदी की जानी चाहिए।
(iv) जनांकिकी सर्वेक्षण बार-बार होनी चाहिए। आदि-आदि।

पुनः 1949 में श्रीमति धनवंती रामा राव की अध्यक्षता में " भारतीय परिवार नियोजन संघ " की स्थापना की.

Scanned with CamScanner

गई।

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि भारत के बुद्धिजीवी स्वतंत्रता पूर्व भी जनसंख्या नीति के निर्माण में अभिरुचि ले रहे थे। इस अभिरुचि के परिणामस्वरूप ही विभिन्न समिति एवं संस्थाओं का गठन किया जा रहा था तथा जनसंख्या पर नियंत्रण पाने का असफल प्रयास किया गया।

(ii) स्वतंत्रता के पश्चात जनसंख्या नीति ; स्वतंत्रता के बाद भारत वर्ष में पंचवर्षीय योजनाएँ चलाए गए और इस योजनाओं के साथ-साथ जनसंख्या नीति का भी मूल्यांकन होता रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1952--57) से लेकर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) तक अनेक प्रयास किए गये; लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। पाँचवी पंचवर्षीय योजना के (1974-79) के काल में ही जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक विशेष "राष्ट्रीय जनसंख्या नीति" की घोषणा की गई। 16 अप्रैल 1976 को डॉ० कर्ण सिंह ने इस नीति की घोषणा की। इस नीति का आधार यह यह था कि जनसंख्या विस्फोट एक गंभीर संकट का रूप धारण कर लिया है। अतः जनसंख्या को सीमित करना हमारी सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या है। इस समस्या के समाधान

के लिए हमें सीधा प्रहार करना होगा।
इस नीति के मुख्य विशेषताएँ :-
(i) इस नीति के अनुसार परिवार नियोजन को "परिवार कल्याण कार्यक्रम" नाम दिया गया।
(ii) शारदा एक्ट 1929 के विवाह के न्यूनतम आयु बढ़ाकर लड़को की 18 से 21 वर्ष तथा लड़कियो कि 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया।
(iii) लोकसभा तथा विधानसभाओं में सदस्यों कि संख्या 1971 के जनगणना के आधार पर 2001 तक स्थिर कर दिया।
(iv) जन्मदर 25/1000 तक लाने का लक्ष्य रखा गया।
(v) जबरन नसबंदी को केन्द्र सरकार ने नीति के विरुद्ध माना।
(vi) यह विधान किया गया कि यदि किसी दंपत्ति को दो या दो से कम बच्चा होने पर यदि वह नसबंदी करता है तो 150 रु तीन पर 100 रु चार पर 70 रु० पुरस्कार दिया जाएगा।

2K में घोषित जनसंख्या नीति :-

15 फरवरी 2000 को केन्द्र सरकार ने नयी जनसंख्या नीति कि घोषणा की राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा कृषि विशेषज्ञ डा० एम० एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में "स्वामीनाथन समिति" गठित की गई है। नयी जनसंख्या नी...

का सबसे प्रमुख प्रावधान है यह है कि जनसंख्या पर अंकुश नहीं लगाने वाले राज्यों का लोकसभा तथा विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व सन् 2026 तक नहीं बढ़ाया जायेगा। 84वाँ संविधान संशोधन में इस बात की चर्चा की गई है।

सरकार के जनसंख्या नीति कि प्रमुख बातें:

(i) नयी जनसंख्या नीति से सन् 2045 तक देश की जनसंख्या स्थिर कर देने का लक्ष्य रखा गया है।

(ii) सरकार का लक्ष्य सन् 2010 तक जनसंख्या वृद्धि की दर 2·1% तक लाना है।

(iii) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग गठित करने का निर्णय किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे।

(iv) मुख्यमंत्रियों कि अध्यक्षता में इसी तरह के राज्यस्तरीय आयोगों का गठन भी किया जाएगा।

(v) जनसंख्या नियंत्रण के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा।

(vi) छोटे परिवार के लिए 16 प्रोत्साहक एवं प्रेरक उपायों की घोषणा।

(vii) छोटे परिवार के सिद्धांत में दो बच्चे का माप-दण्ड बरकरार।

(viii) 21 वर्ष के बाद जो स्त्री पहली बार माँ बनती है (यह बात गरीबी रेखा से नीचे के दम्पत्ति) तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

पूर्व की घोषित जनसंख्या नीतियों से भिन्नताएँ :–

वैसे तो पूर्व कि तथा 2000 मे घोषित नीति लगभग समान प्रतीत होती है मगर कुछ भिन्नताएँ इस प्रकार है–

(i) नयी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति मे यह घोषणा की गई है कि पूर्व के नीतियो द्वारा घोषित परिवार कल्याण कार्यक्रमों के सभी लक्ष्यों को हटा लेगी।

(ii) इस जनसंख्या नीति मे लोकसभा के सीटों मे वृद्धि नही की गई है। जबकि पूर्व की जनसंख्या नीति मे यह स्पष्ट किया गया था कि 2001 मे बढ़ेगा।

(iii) नयी जनसंख्या नीति मे राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया है जो पूर्व कि नीतियों मे नही था।

(iv) नसबंदी हेतु मौद्रिक सहायता की चर्चा नही कि गई है।

(v) राज्यो मे भी मुख्यमंत्रियों कि अध्यक्षता मे राज्यस्तरीय समिति का गठन किया है जो पूर्व मे नहीं था।

उपर्युक्त समस्त चर्चाओं के आधार पर निष्कर्षतः कह सकते है कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु जितने भी कार्यक्रम चलाए गए सभी विफल हुए। कुछ विशेषज्ञ जनसंख्या नियंत्रण के लिए तेजी से आर्थिक विकास और साक्षरता के व्यापक प्रसार की आवश्यकता बताते है।

— x —